संख्या 95 /XVII(1)-2/2005-376(समाज कल्याण)/2002

प्रेषक,

मदन सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

देहरादून : दिनांक : मार्च, 2005

समाज कल्याण अनुभाग-2

विषयः अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2004-05 में दम्पतियों को पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2/7/73 रा.एकी. दिनांक 16जुलाई, 1976 तथा समय-समय पर संशोधित नियमावली के नियमों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2004-05 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल रू. 1,40,000/- (रू. एक लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. अन्तर्जातीय विवाह के अन्तर्गत एक पक्ष अनुसूचित जाति का तथा अन्तर्धार्मिक विवाह के अन्तर्गत दोनों पक्ष भिन्न-भिन्न धर्म के होने आवश्यक हैं तथा यह प्रोत्साहन पुरस्कार केवल एक बार ही अनुमन्य होगा।

3. पुरस्कार प्राप्त करने वाले विवाहित दम्पति में से किसी सदस्य द्वारा पृथकीकरण, विवाह विच्छेद या विवाह विघटन कर लेने पर दम्पति पुरस्कार की सम्पूर्ण धनराशि सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदाई होंगे और यह भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूलीय होगी।

4. यदि बिना किसी न्यायसंगत कारण के और विवाह के दिनांक से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दम्पति के वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं तो तदुपरान्त पुरस्कार की सम्पूर्ण धनराशि या मूल्य भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूलीय हो जाएगी।

5. पुरस्कार की धनराशि रू. 10,000/- (रू. दस हजार मात्र) पात्र दम्पति को संयुक्त रूप से अनुमन्य होगा।

6. उक्त धनराशि निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल द्वारा आहरित करके संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी संबंधित दम्पतियों का सत्यापन करके पुरस्कार वितरण सामूहिक रूप से समारोहपूर्वक करेंगे।

7. अन्तर्धार्मिक विवाह के मामलों में शर्त यह होगी कि अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पतियों का धर्म परिवर्तन नहीं होगा।

6. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-05-अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन" के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जाएगा तथा पुनर्विनियोजन कालम-1 की बचतों से किया जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1780/XXVII(2)/2005 दिनांक 20मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।
(पुनर्विनियोग प्रपत्र एवं 14दम्पतियों की सूची)।

भवदीय,

(मदन सिंह)
सचिव।

क्रमशः

NIC-1575

संख्या : 95 (1)/XVII(1)-2/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
उपसचिव।